

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या

तारीख दायरा

तारीख निर्णय

मैनुअल नं. 58 / प्रा.पत्र / 2023

27.03.2023

14.08.2024

(GCMS No. 2023 / 83)

मोतीलाल ओसवाल होम फाईनेंस लिमि.,
पंजीकृत कार्यालय मोतीलाल ओसवाल टॉवर, रहीमतुल्लाह सयानी रोड,
अपोजिट परेल एसटी डिपो, प्रभा देवी, मुम्बई
(जरिये प्राधिकृत अधिकारी)

– प्रार्थी (प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

स्व. कमल बोयत पुत्र प्रभुलाल जर्ये विधिक वारिस

1. श्रीमती गुडडी देवी पत्नी स्व. कमल बोयत,
पता– वार्ड नं. 04, 116, सहकारी समिति रजिस्ट्रार कार्यालय, बून्दी
तहसील बून्दी, जिला बून्दी (राज.)
2. कमलेश पुत्र स्व. कमल बोयत,
पता– गुरुनानक कोलोनी, हरिजन बस्ती, बून्दी
तहसील बून्दी, जिला बून्दी (राज.)

– अप्रार्थीगण (ऋणी / सहऋणी)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण
और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थित–

प्रार्थी की ओर से श्री आनंद सिंह नरूका, एडवोकेट।

अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

आदेश

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मोतीलाल ओसवाल होम फाईनेंस लिमि., जिसका पंजीकृत कार्यालय मुम्बई में स्थित है, जो कि भारतीय कम्पनीज एक्ट 1956 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड कम्पनी है एवं वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया से रजिस्टर्ड है,, से अप्रार्थीगण ने दिनांक 30.03.2017 को कुल रूपये 12,28,905/- का ऋण

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.
बून्दी

लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिव्योरिटी के रूप में बंधक सम्पत्ति श्री कमल बोयत पुत्र प्रभूताल की अचल सम्पत्ति हरिजन बस्ती, गुरुनानक कोलोनी, बून्दी, तहसील बून्दी, जिला बून्दी (राज.) में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 109 वर्गगज है, को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रदत्त उक्त ऋण मय ब्याज का नियमित रूप से भुगतान नहीं कर सके और ऋण के भुगतान के व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 03.05.2020 को आकियान्विति आरित NPA (अनर्जक परिसम्पत्ति) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। अप्रार्थीगण के खाते में 10,48,749/- बकाया रकम दिनांक 26.09.2022 तक शेष देय है व इससे आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्च पूर्णभुगतान करने तक के लिये अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत ऋणी अप्रार्थीगण को दिनांक 11.10.2022 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस प्रेषित किया गया। इसके बावजूद निर्धारित अवधि के अन्तर्गत ऋणी / बंधककर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नहीं संभलाया है। इस कारण प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुनर्भुगतान हेतु उक्त रहनशुदा सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था की जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थनापत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया गया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के नियमानुसार भुगतान नहीं किये जाने पर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस प्रेषित किया गया, इसके बावजूद भी ऋणी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। दिनांक 16.08.16 को उक्त अधिनियम की धारा 12 में किये गये संशोधन के अनुसार यदि धारा 13(2) का नोटिस पूर्व में दिया जा चुका है तो ऋणी को मजिस्ट्रेट की ओर से धारा-14 के तहत प्रार्थना पत्र का पृथक से नोटिस जारी किये जाने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही अभिभाषक प्रार्थी द्वारा अवगत कराया गया कि जिला मजिस्ट्रेट महोदय को केवल दो पहलुओं पर विचार करना होता है कि क्या प्रतिभूत आरित उसकी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर आती है, और क्या धारा 13(2) के अधीन सूचना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र में उक्त दोनों बिन्दुओं की पालना हो चुकी है। अतः उपरोक्त बंधक सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।



हमने अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दरतावेजात का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित अवल सम्पत्ति को बंधक रखकर प्रार्थी वित्तीय संस्था से ऋण लिया जाना, ऋणी के ऋण मय ब्याज नियमानुसार भुगतान करने में असफल रहने से उक्त ऋण खाला NPA किया जाना एवं प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रत्यक्ष रूप से अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस प्रेषित किये जाने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगण द्वारा भुगतान नहीं किया जाना प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र में अंकित किया है। प्रार्थना पत्र के संलग्न सम्पत्ति के स्वामित्व संबंधी दरतावेजों से स्पष्ट है कि प्रतिभूत आरित क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर आती है। वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के अधीन सूचना पत्र दिनांक 11.10.2022 को प्रस्तुत किया जा चुका है। अतः प्रार्थी वित्तीय संस्था उज्जीवन स्मॉल फाईनेन्स बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ऋणी की / बंधककर्ता की बंधक सम्पत्ति श्री कमल बोयत पुत्र प्रभूलाल की अवल सम्पत्ति हरिजन बस्ती, गुरुनानक कोलोनी, बून्दी, तहसील बून्दी, जिला बून्दी (राज.) में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 109 वर्गगज है (जिसकी चतुर्सीमाएं इस प्रकार है, पूर्व में- गली, पश्चिम में- आम रास्ता, उत्तर में- राजू का मकान, दक्षिण में- सरकारी गली), का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक बून्दी को हरब कायदा जारी हो। उक्त बंधक सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी तरह का विवाद होने या किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी होने की स्थिति में यह आदेश कियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे। पत्रावली फ़ैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 14.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय शर्मा, जज)
जिला मजिस्ट्रेट बून्दी

